न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर

पीठासीन अधिकारी पर्वतसिंह चूण्डावत

राजस्व प्रार्थना पत्र 111/2018

1- श्री भीखाराम पुत्र स्व0 श्री बालू जी
2. श्री अर्जून पुत्र स्व0 श्री बालू जी
3. श्री उगमा पुत्र स्व0 श्री बालू जी
4. श्री हरलाल पुत्र स्व0 श्री बालू जी
5. श्री प्रभू पुत्र स्व श्री ईशर जी
6. श्री रामा पुत्र स्व0 श्री मंगना जी
7. श्री गजराज पुत्र स्व0 श्री अनोड जी
8. श्री सूरजमल पुत्र स्व0 श्री भागीरथ जी
9. श्री रामगोपाल पुत्र स्व0 श्री प्रताप जी
10. श्री रंगलाल पुत्र स्व0 श्री रामकरण जी
11. श्री देशराज पुत्र स्व0 श्री चन्द्रा जी
12. श्री गोपाल पुत्र स्व0 श्री घासी जी
13. श्री राजैन्द्र पुत्र स्व0 श्री नैनू जी
14. श्री शिवराज पुत्र स्व0 श्री औनाड जी

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर राजस्थान।

.............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री प्रभू पुत्र स्व0 श्री नानू जी
2. श्री चन्द्रा पुत्र स्व0 श्री नानू जी

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर, राजस्थान।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजयनगर। ....अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थीगण ने इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम कल्याणपुरा तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा नम्बर 237 रकबा 02–09–00. 144 रकबा 03–09–00 बिस्वा उनकी खुदकाश्त से संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिनमें पडौसी काश्तकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते है अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सख्या एक के अधिवक्ता ने जवाब नही दने पर जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी सख्या दो अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

अधिवक्तागण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम कल्याणपुरा पटवार मंडल लोडियाना की जमाबंदी संवत 2072–75 के खाता संख्या 38 में खसरा नम्बर 237 रकबा 02–09–00. एव खाता संख्या 75 में खसरा नम्बर 144 रकबा 03–09–00 बिस्वा प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि में है अतः वे पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते है कि –

आदेश

तहसीलदार बिजयनगर को ग्राम कल्याणपुरा स्थित प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 237 रकबा 02–09–00. 144 रकबा 03–09–00 बिस्वा में मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार राशि प्राप्त कर प्रश्नगत भूमि मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2019 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।

(पर्वतसिंह चूण्डावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.18 16:38:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: